कार्यालय निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद / निकाशि / रिफे. / जयपुर / 2010 / 153   दिनांकः06 दिसम्बर, 2012

निदेशक,
अकादमी स्टाफ कॉलेज,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

विषयः दिनांकः 17.12.2012 से 05.01.2013 तक इन्फोंमेशन टेक्नोलोजी विषय पर आयोजित रिफ्रेशर कोर्स बाबत्।

संदर्भः आपका पत्र क्रमांकः एएससी / 2012 / 1426 दिनांकः 11.09..2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भ में निर्देशानुसार लेख है कि आप द्वारा दिनांकः 17.12.2012 से 05.01.2013 तक इन्फोंमेशन टेक्नोलोजी विषय पर आयोजित रिफ्रेशर कोस में भाग लेने के लिए निम्नलिखित व्याख्याताओं को मनोनीत किया जाता है :–

क्र.सं.	नाम व्याख्याता	विषय	महाविद्यालय का नाम
1	लोकेश जासोरिया	गणित	राज0 महा0, मण्डफिया
2	जितेन्द्र सिंह	गणित	राज0 महा0,बांरा
3	कृष्ण प्रताप मीणा	गणित	राज0 महा0, सरदारशहर
4	मीठालाल मीणा	गणित	राज0 महा0, आबूरोड
5	पवन चंचल	गणित	राज0 महा0, शिवगंज
6	रामनिवास द्वितीय	गणित	राज0 महा0, डीडवाना
7	नन्द कुमार शर्मा	लाईब्रेरी साईन्स	राज0 महा0, बांरा
8	राजेन्द्र कुमार शुक्ला	लाईब्रेरी साईन्स	राज0 महा0, किशनगढ
9	मुकेश चौहान	अंर्थशास्त्र	राज0 महा0, सलूम्बर
10	हरजीत सिह	अंर्थशास्त्र	राज0 महा0, फलौदी
11	हरिराम मीणा	अंर्थशास्त्र	राज0 महा0, बांरा
12	सरिता सिंह	अंर्थशास्त्र	राज0 महा0, कोटपूतली
13	रेणू व्यास	अंर्थशास्त्र	राज0 कन्या महा0, अलवर
14	ललिता यादव	अंर्थशास्त्र	राज0 महा. कोटपूतली

उपरोक्त मनोनीत व्याख्याताओं को आमन्त्रण पत्र आप अपने स्तर पर भेजें तथा उक्त कोर्स में उपस्थित एवं अनुपस्थित होने वाले व्याख्याताओं की सूची निदेशालय को भिजवायें। जिससे कि अनुपस्थित रहने वाले व्याख्याताओं के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके।

उक्त कोर्स में भाग लेने वाले व्याख्याताओं को यात्रा एवं दैनिक भत्ता आपके द्वारा देय होगा।

भवदीय,
ह0 तिवाडी
संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद / निकाशि / रिफ्रे. / जयपुर / 2010 / 153 दिनांकः 06 दिसम्बर, 2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संबंधित प्राचार्य कृपया निम्नलिखित निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें :–

(अ) मनोनीत व्याख्याताओं को विश्वविद्यालय से आमन्त्रण पत्र प्राप्त होने पर उक्त कोर्स में भाग लेने के लिए दिनांक 17.12.2012 को प्रातः 9.00 बजे निदेशक, अकादमी स्टाफ कॉलेज, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को उपस्थिति देने हेतु निर्देशित करें।

(ब) व्याख्याताओं को चयनित वेतनमान के लिए वरिष्ठ वेतनमान के पश्चात् दो रिफ्रेशर कोर्स करना अनिवार्य है।

(स) सभी प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि उनके महाविद्यालयों से रिफ्रेशर कोर्स के लिए मनोनीत किये गये व्याख्याताओं में से जिनको कोर्स में भाग लेने की आवश्यकता है, उन्हें आवश्यक रूप से इस कोर्स में भाग लेने के लिए पाबन्द करें, अन्यथा पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं प्राचार्य की होगी। साथ ही ओरियेन्टेशन / रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने वाले व्याख्याताओं को छात्रहित को देखते हुऐ अतिरिक्त कक्षाऐं लेकर कोर्स पूर्ण कराने एवं अपने स्तर पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु निर्देशित करें।

2. संबंधित व्याख्याता – यदि आपके द्वारा उक्त कोर्स में भाग नहीं लिया गया है तो आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी एवं मार्च 2013 तक आपको कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

3. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

4. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर / जोधपुर / उदयपुर / कोटा / बीकानेर / अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने क्षेत्र के संबंधित व्याख्याताओं के महाविद्यालयों के प्राचार्यो को सूचित करें कि उपरोक्त व्याख्याताओं का मनोनयन किया गया है जिन्हें विश्वविद्यालय से आमंत्रण पत्र प्राप्त होने पर उक्त कोर्स के लिए कार्यमुक्त किया जावे।

5. डा0 धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता, बेवसाईट प्रभारी, निदेशालय। कृपया निदेशालय की बेवसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

6. रक्षित पत्रावली ।

ह0 तिवाड़ी

संयुक्त निदेशक,

कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर